भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AA 727404

यह जनरल स्टाम्प पेपर विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान अपिनगर

जिला गोरखपुर फाइल नं० (जी०2653)

संशोधित नियमावली के साथ संलग्न है

सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

उ० प्र० गोरखपुर

19/11/09

विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान

1. संस्था का नाम		विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान
2. संस्था का पूरा पता		विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान, आर्य नगर, गोरखपुर उ0प्र0
3. संस्था का कार्य क्षेत्र	:	उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग	:	संस्था की साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर ही कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य बनाया जा सकता है।ऐसे व्यक्ति निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करने तथा साधारण सभा द्वारा सदस्य घोषित करने के उपरान्त ही सदस्य कहे जायेंगे।

क. **आजीवन सदस्य**– जो सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था को रूपया 5000/–(पांच हजार रूपये मात्र) देगें वे साधारण सभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा शुल्क की प्राप्ति स्वीकार करने तथा आजीवन सदस्य घोषित करने के उपरान्त आजीवन सदस्य कहे जायेगे।

ख. **साधारण सदस्य**– जो सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था को रूपया 1000/–(एक हजार रूपये)देगें वे साधारण सभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा शुल्क की प्राप्ति स्वीकार करने तथा साधारण सदस्य घोषित करने के उपरान्त साधारण सदस्य कहे जायेंगे।

ग. **सदस्यता शुल्क**– सदस्यों से सदस्यता शुल्क मंत्री प्राप्त करेगें तथा मंत्री के हस्ताक्षर से जारी की गयी रसीद ही मान्य होगी।

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

5- (अ) अनर्हताएं :

कोई व्यक्ति संस्था के पदाधिकारी/सदस्य पद पर चुने जाने अथवा बने रहने के अनर्ह हो जायेगा यदि :–

1. वह पागल या दिवालिया हो जाये।
2. वह दुराचरण के कारण दंडित हो जाये।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

मन्त्री
विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान,
आर्य नगर, गोरखपुर

3. वह किसी संस्था के पंजीकरण प्रबन्ध अथवा क्रिया कलाप में किसी अभियोग के फलस्वरूप दंडित हुआ हो।

4. उसने संस्था की ख्याति अथवा उसके हितों के विपरित कार्य किया हो।
अथवा ऐसे किसी कार्य में सहयोग किया हो। (इसके अन्तर्गत समाचार पत्र अथवा आकाशवाणी

दूरदर्शन पर वक्तवय देना,पत्रक छपवाकर बॅटवाना आदि भी सम्मिलित है।)

6.(ब) सदस्यता की समाप्ति : निम्नांकित में से एक या अधिक कारणों से सदस्यता की समाप्ति समझी जायेगी।
1. मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र स्वीकार होने पर।
3. निरन्तर तीन बैठकों में बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहने पर।
4. सदस्यता शुल्क न देने पर।

7. संस्था के अंग : संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था के निम्नाकिंत दो अंग होंगे।
1. साधारण सभा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति।

8. साधारण सभा :

क **गठनः**—नियमावली के धारा 5 में उल्लिखित सभी वर्ग के सदस्य इसके सदस्य माने जायेगें

ख. **बैठकेंः**—साधारण व विशेष बैठकें होगी। वर्ष में साधारण बैठक कम से कम एक बार अवश्य बुलायी जायेगी।

ग .**सूचना अवधिः**—बैठक की सूचना दूरभाष, हाथसे या पोस्टिगं ,सर्टिफिकेट से दी जायेगी।

घ .**गणपूर्तिः**—कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 गणपूर्ति होगी, किन्तु स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

ङ. **विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथिः**—
संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर साधारण सभा के निर्णय के अनुसार बुलाया जायेगा। जिसमें संस्था का प्रगति विवरण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। प्रगति विवरण में आय–व्यय का

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

मन्त्री
विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान
आर्य नगर, गोरखपुर

विवरण भी सम्मिलित होगा।

च. साधारण सभा के कर्तव्य

1. वार्षिक विवरण एवं आय–व्यय स्वीकृत करना।
2. नियमावली में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संशोधन करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।
4. अन्य आवश्यक कार्य करना।

9.1 प्रबन्धकारिणी समिति का गठन सदस्य : नियमावली की धारा 5 के सभी वैध

साधरण सभा के सदस्य कहलायेगें जो बहुमत से निम्नाकिंत पदाधिकारियों और और सदस्यों का चुनाव करेगें।

1. संरक्षक 2. अध्यक्ष 3. उपाध्यक्ष
4. मंत्री 5. उपमंत्री 6. कोषाध्यक्ष
7. सदस्य (पॉच)

इस प्रकार गठित प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा। यही प्रबन्धकारिणी संस्था द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं की प्रबन्ध समिति होगी।

9.2 बैठकें : साधारण व विशेष दो बैठकें होगी। एक वर्ष में साधारण बैठक कम से कम दो बार बुलायी जायेगी।

9.3 सूचना अवधि : साधारण बैठक के लिए दस दिन तथा विशेष बैठक के लिए तीन दिन पूर्व दूर-भाष से ,हाथ से या पोस्टिंग सर्टिफिकेट से सूचना भेजना आवश्यक है।

9.4 गणपूर्ति : कुल सदस्यों की संख्या का 2/3गणपूर्ति होगी किन्तु स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

मंत्री

9.5 रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के किसी पदाधिकारी /सदस्य का पद रिक्त होने पर उसकी पूर्ति नियमानुसार प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा की जायेगी जो शेष अवधि के लिए होगी।

9.6 प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

1. संस्था और संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं पर मंत्री के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण रखना।
2. सम्पूर्ण आय–व्यय का हिसाब रखना।
3. संस्था और संचालित संस्थाओं के संचालन हेतु उपसमितियों का गठन करना और उपनियम बनाना।
4. गत वर्ष के वास्तविक और वर्तमान वर्ष के अनुमानित आय–व्यय को साधारण सभा से स्वीकृत करना।
5. मंत्री और किसी अन्य पदाधिकारी को किसी कार्य हेतु अधिकृत करना।
6. संस्था और संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं की ओर से उसके विरूद्ध न्यायलयों में प्रस्तुत वाद में प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्री या अन्य पदाधिकारियों को अधिकृत करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य :

(क) संरक्षक

1 .संस्था द्वारा संचालित सभी विद्यालयों/संस्थाओं का नियंत्रण प्रबन्धकारिणी समिति के मंत्री के माध्यम से करना।
2 अन्य अधिकार व कर्तव्य जो संस्था द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा दिया जाय।

(ख) अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

(ग) उपाध्यक्ष :

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना।

(घ) मंत्री :

1. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार मंत्री के अधीन होगें जो संस्था और उसके द्वारा संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. बैठकों को बुलाना और कार्यवाही करना।
3. संस्था और संचालित संस्थाओं की ओर से सभी पत्र व्यवहार करना।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

मन्त्री
विद्या मन्दिर शिक्षा संस्थान
आर्य नगर, गोरखपुर

4. संस्था के समस्त आय–व्यय संचालन की जिम्मेदारी वहन करना समस्त चेक्स, बिल्स तथा बैंक एकाउन्टस पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
5 सभी प्रकार के दान,सहायता,चन्दा,ऋण, राजकीय अनुदान, सदस्यता शुल्क,क्षति पूर्ति अनुदान प्राप्त करना।
6. संस्था और संचालित संस्थाओं के हित की दृष्टि से अन्य आवश्यक कार्य करना।
7. न्यायालीय वादों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना तथा संस्था की ओर से न्यायालीय वादों को प्रस्तुत करना।
8. सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना व उसकी रसीद काट कर देने का अधिकार मंत्री का होगा। मंत्री द्वारा जारी की गयी रसीद मान्य होगा।

(ड.) उपमंत्री :

1. मंत्री द्वारा सौंपे गये कार्य करना।
2. मंत्री की अनुपस्थिति में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर मंत्री के सभी कार्य करना।

(च) कोषाध्यक्ष :

1. संस्था और संचालित संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मंत्री की सहायता करना।
2. रोकड़ पंजी पर मंत्री के साथ हस्ताक्षर करना।

11. संस्था के नियमों और विनियमों में संशोधन की प्रकिया : सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्राविधान के अनुसार संस्था के नियमों और विनियमों में सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से साधारण सभा की बैठक में बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संशोधन हो सकेगा ।

12. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था) : संस्था द्वारा शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं का कोष प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत किसी बैंक, पोस्ट आफिस में खोला जायेगा जिसका संचालन मंत्री द्वारा या अध्यक्ष,मंत्री और कोषाध्यक्ष के द्वारा होगा। किन्तु इनमें से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से धन निकाला जायेगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

मंत्री
शिक्षा मन्दिर शिक्षण संस्थान
आर्य नगर, गोरखपुर

कोष से सम्बन्धित सभी अभिलेख मंत्री की सुरक्षित अभिरक्षा में रखें जायेगें।रोकड़ पंजी पर माह के अन्त में मंत्री के हस्ताक्षर होंगे। प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

13. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था और संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं का लेखा परीक्षण प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नामित आडिटर द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में होगा और आडिट रिपोर्ट विचारार्थ प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष रखा जायेगा।

14. संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था और संस्था द्वारा संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री/प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नामित पदाधिकारी का होगा।

15. संस्था का अभिलेख : संस्था का अभिलेख सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर स्टाक पंजी, रोकड़ पंजी आदि मंत्री की सुरक्षित अभिरक्षा में रखें जायेंगे।

कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन

अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी। यदि किसी कारण संस्था को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ी तो उसके नाम से जमा सम्पूर्ण चल और अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली किसी भी संस्था को प्रदान कर दी जायेगी।

शिवजी सिंह

मंत्री
विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान
आर्यनगर गोरखपुर

मंत्री
विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान
आर्य नगर, गोरखपुर

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
19/11/09

D:\Sansthan\Socitey Registration.doc.

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता 19/11/09

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक......117487

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 1412 दिनांक 31/5/17

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
486	जी–26537	1997-1998

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ....विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, पता– सरस्वती विद्या मन्दिर आर्यनगर जनपद– गोरखपुर....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 27........दिनांक 30-05-1997..... को दिनांक

30-05-2017...... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

....1000....रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

31/5/17

जारी करने का दिनांक....31-05-2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी0 / आफसेट)।